न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 17/2018 प्रार्थना पत्र (आदेश 9 नियम 9)

1. जीतमल पिता देवी गुर्जर निवासी गुर्जरों की नोहरा जावल, तहसील कोटडी
2. धन्ना पिता देवी गुर्जर निवासी गुर्जरों की नोहरा जावल, तहसील कोटडी
3. श्रीमती देऊ पुत्री देवी गुर्जर निवासी गुर्जरों की नोहरा जावल, तहसील कोटडी
4. श्रीमती काली पत्नी देवी गुर्जर निवासी गुर्जरों की नोहरा जावल, तहसील कोटडी

–प्रार्थीगण

बनाम 1. श्रीमती रामप्यारी पत्नी सुवालाल शर्मा निवासी जावल, नोहरा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जा.दी.

उपस्थित –

1. श्री देवीलाल अधिवक्ता – प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री नानूलाल तेली अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 31.07.2019

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 9 विरूद्व विपक्षी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर भू आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 21.06.2000 को विपक्षीया को ग्राम जावल तहसील कोटडी में स्थित सिवायचक बिलानाम कृषि भूमि खसरा नं. 16 में 1.10 बीघा भूमि कृषि प्रयोजन के लिये आवंटन की गयी। उसे अपास्त कराने हेतु प्रार्थीगण द्वारा अनुतोष चाहा गया। किन्तु माननीय न्यायालय ने दिनांक 27.04.2017 को प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को अदम हाजरी/ अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। इसकी जानकारी प्रार्थीगण को नहीं थी। दिनांक 04.01.2018 को विचाराधीन मामले के बारे में न्यायालय में जानकारी करने पर अवगत हुआ कि प्रार्थना पत्र दिनांक 27.04.2017 को ही अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। मामला अचल सम्पति जायदाद का होकर प्रार्थीगण का हित निहित हैं। यदि प्रकरण पुनः नम्बर पर नही लिया गया तो प्रार्थीगण अपने न्याय से महरूम हो जावेगें। विलम्ब को क्षमा कराने के लिये दफा 05 कानूनी मियाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। अतः

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल प्रकरण जो दिनांक 27.04.2017 को अदम हाजरी/ अदम पैरवी में खारिज किया गया, को पुनः नम्बर पर लेने के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.02.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं सिगाह से पूर्व प्रकरण सं. 13/2013 दिनांक 27.04.2017 आदेश संबंधी रिकार्ड़ तलब किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उभयपक्ष अधिवक्तों द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी।

प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में बताया कि इस न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर भू आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 21.06.2000 को विपक्षीया को ग्राम जावल तहसील कोटडी में स्थित सिवायचक बिलानाम कृषि भूमि खसरा नं. 16 में 1.10 बीघा भूमि कृषि प्रयोजन के लिये आवंटन की गयी। यह कृषि भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि खसरा नं. 18 रकबा 5.11 बीघा व खसरा नं. 19 रकबा 4.07 बीघा से सटी हुयी होकर छोटी पटटी के रूप में स्थित हैं। जिससे आवंटन नियमों में भी यह व्यवस्था दी गयी कि इस प्रकार की छोटी पटटी की भूमि सर्वप्रथम संस्पर्शी खातेदार को न्यायहित में आवंटन किया जाना चाहिये। उक्त कृषि भूमि आवंटन को अपास्त कराने हेतु प्रार्थीगण द्वारा अनुतोष चाहा गया। किन्तु माननीय न्यायालय ने दिनांक 27.04.2017 को प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को अदम हाजरी/ अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। इसकी जानकारी प्रार्थीगण को नहीं थी। दिनांक 04.01.2018 को विचाराधीन मामले के बारे में न्यायालय में जानकारी करने पर अवगत हुआ कि प्रार्थना पत्र दिनांक 27.04.2017 को ही अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। मामला अचल सम्पति जायदाद का होकर प्रार्थीगण का हित निहित हैं। यदि प्रकरण पुनः नम्बर पर नही लिया गया तो प्रार्थीगण अपने न्याय से महरूम हो जावेगें। निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2017 को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किये गये प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश प्रदान कराया जावे।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में बताया कि प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता नियत तारीख पेशी पर वक्त सुनवाई जानबुझकर उपस्थित नही हुए। प्रार्थीगण ने न्यायालय में उपस्थित नहीं होने का कोई ठोस कारण नही बताया। प्रार्थना पत्र काफी विलम्ब से पेश किया गया, जो मियाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की लिखित बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 जा.दी. का दिनांक 15.01.2018 के साथ प्रकरण सं. 13/2013 निर्णय दिनांक 27.04.2017 की फोटोप्रति प्रमाणित पेश करते हुये

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ने प्रकरण सं. 13/2013 निर्णय दिनांक 27.04.2017 को पुनः नम्बर पर लेने का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 09 जा.दी. का प्रार्थना पत्र दिनांक 15.01.2018 को इस न्यायालय में दिनांक 05.02.2018 को प्रस्तुत किया जो 08 माह 18 दिन पश्चात् काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 कानून मियाद अधिनियम में विलम्ब का ठोस कारण अंकित नहीं किया हैं एवं दिन प्रतिदिन का कारण भी स्पष्ट नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 09 जा.दी. का सारहीन होने से खारिज योग्य हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 09 जा.दी. का सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा